श्री गिरिराज सिंह, माननीय मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन–सह–प्रभारी मंत्री, बीस सूत्री, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 24.12.2010 को 9.00 बजे पूर्वा0 एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी:–

1.0 <u>चिकित्सकों एवं कर्मियों की उपस्थिति</u> :–

1.1 अधोहस्ताक्षरी जब अस्पताल पहुंचे तो डा0 अरूण कुमार सिंह एवं डा0 विजय कुमार को छोड़कर कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं थे। श्री अमरेन्द्र कुमार अमन, अधीक्षक एवं श्री अशोक कुमार चौधरी, उपाधीक्षक 9.20 बजे पूर्वा0 अस्पताल में माननीय प्रभारी मंत्री के भ्रमण के बारे में सुनकर दौड़ कर आए, जबकि उन्हें सुबह 8.00 बजे से ही अस्पताल में उपस्थित रहना चाहिए था। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुपस्थित सभी चिकित्सा पदाधिकारियों के अनुपस्थिति तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछें तथा अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

1.2 चिकित्सकों के उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि डा0 गोविन्द सिंह, दन्त चिकित्सक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं थे, परंतु उपस्थिति पंजी में उनका हस्ताक्षर दर्ज था। डा0 रामायण सिंह एवं डा0 उषा दास कर्तव्य से अनुपस्थित थे, उनका अवकाश आवेदन भी अप्राप्त था। डा0 एस0डी0 झा दिनांक 01.12.2010 से बिना सूचना के अनुपस्थित थे, उनका अवकाश संबंधी कोई भी आवेदन उपलब्ध नहीं था। इस संबंध में उनके उपर कोई कार्रवाई भी नहीं की गयी है। डा0 चन्देश्वर चौधरी, डा0 एस0के0 झा एवं डा0 मिन्नी रानी काफी विलंब से उपस्थित हुई एवं उनके द्वारा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर भी दर्ज किया गया है। डा0 के0एम0पी0 परवे, डा0 रश्मि कुलियार, डा0 आलोका चंदन, डा0 अमिताभ चौधरी एवं डा0 अंजनी कुमार कर्तव्य पर उपस्थित नहीं थे, परंतु उनके द्वारा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज किया गया था। डा0 दिवाकांत मिश्रा दिनांक 21.12.2010 से अनुपस्थित हैं, कोई अवकाश संबंधी आवेदन भी अप्राप्त है। डा0 अरूण कुमार सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का नाम उपस्थिति पंजी में दर्ज था, परंतु उनका हस्ताक्षर माह दिसम्बर, 2010 में किसी दिन दर्ज नहीं था। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी उपरोक्त सभी चिकित्सकों के अनुपस्थिति तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछे तथा अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

1.3 भी0सी0टी0सी0, (आई0सी0टी0सी0) उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि श्री खुर्शीद जम्मा, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, द्वारा उपस्थिति पंजी में दिनांक 24.12.2010 के साथ दिनांक 25.12.2010 का भी हस्ताक्षर बनाया गया है, जबकि वे उस समय कर्तव्य से अनुपस्थित थे। दूसरे कर्मी श्री राजकुमार, परामर्शी भी अनुपस्थित पाए गए, जबकि उनके द्वारा इस संबंध में न तो कोई अवकाश आवेदन दिया गया है और न ही अधीक्षक इनके अवकाश के संबंध में कोई सूचना है। इस संबंध में पंजी में भी दर्ज की गयी है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुपस्थित कर्मियों के अनुपस्थित तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछकर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

1.4 कम्पाउण्डर एवं फार्मासिस्ट उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि श्री अली हसन, फार्मासिस्ट दिनांक 23.12.2010 से कर्तव्य से अनुपस्थित हैं। श्री पी० के० झा, फार्मासिस्ट के उपस्थिति पंजी पर दिनांक 22.12.2010 से 31.12.2010 तक सी०एल० चढ़ायी हुआ है, अवकाश आवेदन उपलब्ध नहीं था। श्री हरेन्द्र सिंह, फार्मासिस्ट दिनांक 21.12.2010 से कर्तव्य से अनुपस्थित हैं, कोई अवकाश आवेदन भी अप्राप्त है, परंतु अधीक्षक द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। श्री नसीम अहमद, लैब टेक्निशियन, ब्लड बैंक के अवकाश पंजी में दिनांक 20.12.2010 से 24.12.2010 तक सी०एल० दर्ज था, अवकाश आवेदन अप्राप्त था। श्री अरूण कुमार पाण्डेय, एक्स–रे तकनीशियन द्वारा उपस्थिति दर्ज की गयी थी, परंतु खोजे जाने पर उपस्थित नहीं हो सके। श्री रामनारायण प्रसाद, ड्रेसर (परिधापक) कर्तव्य से अनुपस्थित थे, कोई अवकाश आवेदन भी नहीं था। इस संबंध में पंजी में दर्ज की गयी। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुपस्थित कर्मियों के अनुपस्थित तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछें तथा अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

1.5 निरीक्षण के क्रम में श्री मणि शंकर, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, रक्त अधिकोष, एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया कर्तव्य पर उपस्थित नहीं थे, परंतु उपस्थिति पंजी में दिनांक 24.12.2010 का हस्ताक्षर बना हुआ पाया गया। इसीप्रकार श्री संतोष कुमार, परामर्शी एस०टी०डी०, का उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज पाया, परन्तु वे कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं थे। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुपस्थित कर्मियों के अनुपस्थित तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछें तथा अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

1.6 श्री बीरेन्द्र कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, एम०जे०के० अस्पताल के उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। श्री कुमार दिनांक 23.12.2010 से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं, इस संबंध में उनका न तो कोई अवकाश आवेदन उपलब्ध है और न ही अधीक्षक से अनुमति ली गयी है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुपस्थित कर्मियों के अनुपस्थित तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछें तथा अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

1.7 नेत्र विभाग के उपस्थिति पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री राजेश रंजन वर्मा, नेत्र सहायक, श्री चन्देश्वर कुमार साहु, नेत्र सहायक, श्री मुकेश कुमार सिन्हा, नेत्र सहायक, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, नेत्र सहायक एवं श्री प्रमोद कुमार, नेत्र सहायक के हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी में दिनांक 24.12.2010 को दर्ज था, परंतु वे कर्तव्य पर उपस्थित नहीं थे। स्पष्ट है कि उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर बनाकर स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की इनकी आदत है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुपस्थित कर्मियों के अनुपस्थित तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछें तथा अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

1.8 डाटा ऑपरेटर के उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। श्री राहुल झा, श्री मुकेश कुमार सिंह एवं श्री सावित्री कुमारी, डाटा ऑपरेटर कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अवकाश संबंधी आवेदन या सूचना अप्राप्त है। उनके अनुपस्थिति के संबंध में पंजी में भी दर्ज की गयी। उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुपस्थित कर्मियों के अनुपस्थित तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछें तथा अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

1.9 मो0 अजफरूल हक, प्रयोगशाला प्रावैधिकी के उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। श्री हक के उपस्थिति पंजी में दिनांक 24.12.2010 के उपस्थिति में एस0के0एम0सी0एच0 मुजफ्फरपुर दर्ज पाया गया। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वे मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण में गये हुए हैं, परंतु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुपस्थित कर्मियों के अनुपस्थित तिथि का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछें तथा अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

2.0 ओ0पी0डी0 का निरीक्षण :–

ओ0पी0डी0 सुबह 8.30 बजे प्रारंभ होना था, परंतु निरीक्षण के क्रम में 9.30 बजे तक कोई भी चिकित्सक उपस्थित नही थे, ओ0पी0डी0 बंद पाया गया, इस संबंध में सभी पंजी में जिला पदाधिकारी द्वारा अनुपस्थिति दर्ज की गयी। संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

3.0 जख्म प्रतिवेदन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का निरीक्षण :–

निरीक्षण के क्रम में इन्ज्यूरी रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग किए जाने पर श्री अशोक कुमार चौधरी, उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि संबंधित कर्मी अवकाश पर हैं एवं प्रतिवेदन उनके आलमीरा में बंद है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेतिया सदर द्वारा उपाधीक्षक की उपस्थिति में आलमीरा खोलकर जख्म प्रतिवेदन एवं पोस्टमार्टम प्रतिवेदन की जांच की गयी। जांच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न चिकित्सकों के पास वर्ष 2006 से वर्तमान समय तक कुल 1653 (सोलह सौ तिरपन) जख्म प्रतिवेदन एवं 9 (नौ) पोस्टमार्टम प्रतिवेदन लंबित है। (चिकित्सकवार लंबित जख्म प्रतिवेदन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सूची संलग्न) यह बहुत गंभीर विषय है। जिन चिकित्सक के पास जख्म प्रतिवेदन लंबित है उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि भविष्य में जो भी मामले प्राप्त होते हैं, एक सप्ताह के अंदर उसका इन्ज्यूरी प्रतिवेदन संबंधित को चला जाना चाहिए। अधीक्षक, एम0जे0क0 इसे सुनिश्चित करायेंगे।

4.0 दवाओं की उपलब्धता :–

निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में उपलब्ध दवाओं का डिस्पले बोर्ड नहीं पाया गया। पूछने पर श्री अमरेन्द्र कुमार अमन, अधीक्षक एवं श्री अशोक कुमार चौधरी, उपाधीक्षक ने इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए निदेश दिया गया कि आज ही उपलब्ध दवाओं को प्रदर्शित करने वाले डिस्पले बोर्ड लगाया जाय।

उपस्थित लोगों द्वारा किए गए शिकायत के आलोक में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि चिकित्सक द्वारा दवा पुर्जा दलाल को उपलब्ध नही करावें। यदि किसी दलाल द्वारा मरीज से जबरन पुर्जा लिया जाता है या चिकित्सक द्वारा दलाल को दवा पुर्जा दिया जाता है तो मरीज के इन शिकायतों की जांच अधीक्षक द्वारा स्वयं की जाएगी। एवं अधीक्षक द्वारा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाय।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सरकार द्वारा जो दवा अस्पताल में उपलब्ध है वही दवा मरीजों को लिखें। यदि आवश्यकता हो तो अन्य दवा जो जेनरिक है, वही दवा लिखें। निदेश की अवहेलना करने वाले चिकित्सक पर कार्रवाई की जाएगी।

5.0 मरीज एवं उनके परिजन द्वारा किए गए शिकायत :—

5.1 श्री द्वारका राम, घर कोतराहा, जो हड्डी टूट जाने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्होंने बताया गया कि डा0 निखिल कुमार द्वारा सही ढंग से चिकित्सा नहीं किया जा रहा है तथा अपने निजी क्लिनिक में भर्ती होने के लिए कहा जाता है। उपस्थित अन्य मरीज के परिजनों द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी। इस संबंध में उपस्थित परिजनों ने डा0 निखिल कुमार के नाम का पुर्जे पर निजी कम्पनियों का दवा लिखा हुआ पर्चा भी उपलब्ध कराया गया। निदेश दिया गया कि अधीक्षक स्वयं इसकी जांच करें एवं कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

5.2 श्री भिमारी महतों जो मरीज के परिजन हैं के द्वारा बताया गया कि उनका मरीज आग से जल जाने के कारण अस्पताल में भर्ती है, जख्म अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, परंतु चिकित्सक द्वारा अस्पताल से बाहर चले जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। श्री मोहन कुमार, पिता श्री धुव महतों, उतरवारी पोखरा जो पेशाव के रास्ते पानी निकलने के कारण पिछले 11 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने बताया गया कि चिकित्सक द्वारा सही ढंग से ईलाज नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि अधीक्षक स्वयं इसकी जांच करें एवं कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

5.3 श्री मुस्लिम गद्दी, पिता बागड़ गद्दी जो हाथ में जख्म हो जाने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्होंने बताया गया कि चिकित्सक द्वारा समुचित ध्यान नहीं देने के कारण जख्म जल्द ठीक नहीं हो रहा है। निदेश दिया गया कि अधीक्षक स्वयं इसकी जांच करें एवं कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

5.4 अस्पताल में उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत किया गया कि बी0सी0जी0 टीकाकरण राशि का रिपोर्ट जमा करने पर अस्पताल कर्मी द्वारा कमियां निकालकर परेशान किया जाता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अस्पताल कर्मी द्वारा पैसा मांगा जाता है तथा नर्स एवं दायी द्वारा अवहेलना किया जाता है। आशा संघ द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से शिकायत किया गया। निदेश दिया गया कि अधीक्षक स्वयं इसकी जांच करें एवं कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

5.5 श्री शिव पटेल, उम्र 45 वर्ष, पिता श्री संगम पटेल, ग्राम घुड़िहरवा टोला, थाना बैरिया द्वारा उपलब्ध कराये गये दवा पुर्जा पर उपलब्ध सरकारी दवा की जगह अन्य कम्पनियों का दवा लिखा हुआ पाया गया। श्री सत्यनारायण यादव, पे0 स्व0 रामलाल यादव, घर पीपरा नदवा, चौतरवा द्वारा उपलब्ध कराए गए पुर्जा पर भी बाहरी दवा लिखा हुआ पाया गया। उक्त पुर्जा पर अधीक्षक द्वारा भी इसकी सम्पुष्टि की गयी है कि एन्टीबायोटिक्स एवं बिटामिन बी कमप्लेक्स दवा अस्पताल में उपलब्ध रहने के बावजूद चिकित्सक द्वारा बाहर का दवा लिखा गया है। निदेश दिया गया कि अधीक्षक स्वयं इसकी जांच करें एव कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

5.6 उपस्थित लोगों द्वारा शिकायत किया गया कि दिनांक 21.10.2010 को 8.00 बजे अप0 श्री अंशु कुमार, उम्र करीब 12 वर्ष, जो मेल सर्जिकल वार्ड में ईलाज हेतु भर्ती था, के साथ श्री प्रकाश कुमार, कक्ष सेवक, एम0जे0के0 अस्पताल द्वारा मारपीट की गयी। मामले में दोषी पाये जाने के कारण अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल द्वारा अपने ज्ञापांक 839, दिनांक 22.12.2010 द्वारा निलंबित भी किया जा चुका है, परंतु उक्त कक्ष सेवक द्वारा अस्पताल में ड्यूटी किया जाता है। उपस्थिति पंजी में भी उनका हस्ताक्षर बना हुआ है। निदेश दिया गया कि अधीक्षक स्वयं इसकी जांच करे एवं कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

6 अन्यान्य :–

विभिन्न वार्डों के निरीक्षण के क्रम में मरीजो के वार्डो के अंदर एवं बाहरी परिसर में काफी गंदगी पाया गया एवं आवारा जानवर जैसे सुअर एवं कुत्ते को परिसर में जहां–तहां घूमते हुए पाया गया। अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, एम0जे0के0, अस्पताल, बेतिया को निदेश है कि अस्पताल परिसर में आवारा पशुओं के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कर्मियों का रोस्टर बनाकर दायित्व निर्धारित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें तथा अस्पताल परिसर एवं विभिन्न मरीजों के वार्डो की साफ–सफाई की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

Rajender 29-12-2010
(बी0 राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

मंत्री,
पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
–सह–प्रभारी मंत्री,
जिला 20–सूत्री, पश्चिम चम्पारण

ज्ञापांक 77 /गो0, दिनांक 10/01/2011

प्रतिलिपि – सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajender 8-1-2011
(बी0राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।